

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	अपीलार्थी की ओर से एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित	प्रस्तुतिकरण दिनांक एवं आलोच्य आदेश दिनांक
1	175/2025	सोनल कुमारी मेघवाल	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	श्री तंवर सिंह एवं श्री हेमन्त परमार (राजकीय अधिवक्ता)	21.01.2025 एवं 07.12.2024 (अनुलग्नक-1)
2	176/2025	जगदीश चन्द्र पालीवाल			
3	177/2025	सुशीला ताबीयाड़			
4	178/2025	मुकेश गराशिया			

आदेश की दिनांक :- 15.07.2025

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य  
असलम मेहर, सदस्य

### आदेश

- उपर्युक्त तालिका में वर्णित सभी अपीलों में अन्तर्वलित तथ्य एवं बिन्दु समान हैं, अतः इन अपीलों को इस एकल आदेश के द्वारा निर्णीत किया जा रहा है। अपील संख्या 175/2025 सोनल कुमारी बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर एवं अन्य को अग्रग अपील (Leading appeal) मानते हुए इस अपील के तथ्यों का विवेचन/विश्लेषण इस आदेश में किया जा रहा है।
- अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड-III लेवल-I के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरड (Gurad) जिला उदयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण अधिशेष कर्मचारी मानते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोम जिला उदयपुर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड-III, लेवल-I के पद पर पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुरड, जिला उदयपुर में दिनांक 13.02.2019 को रिक्त पद के विरुद्ध की गई थी। अपीलार्थी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत है, जबकि आलोच्य समायोजन आदेश दिनांक 07.12.2024

(अनुलग्नक-1) जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये जारी किया गया है। आलोच्य समायोजन आदेश जिला परिषद की जिला स्थापना समिति के अनुमोदन के बिना जारी किया गया है और अपीलार्थी की 6-डी की प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं की गई है। उनका यह कथन है कि जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, जिला परिषद की स्थापना समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही अपीलार्थी का स्थानांतरण कर सकते हैं, इसलिए उक्त आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 289 के उल्लंघन में जारी किया गया है उनका यह भी कथन है कि उक्त आलोच्य आदेश असक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो कि अनुचित एवं विधि विरुद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को निरंतर अध्यापक ग्रेड-III लेवल-I के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरड (Gurad) जिला उदयपुर में समस्त पारिणामिक लाभों सहित कार्य करने दिया जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माध्यमिक शिक्षा में सेवारत अधिशेष कार्मिकों का समायोजन के संबंध में निदेशालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 14.11.2024 को अधिशेष अध्यापकों समायोजन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अपीलार्थी का उक्त विद्यालय में रिक्त पद पर समायोजन किया गया है। निर्देश के खंड दो के अनुसार पद दिनांक 30.04.2015 की दिशा निर्देशों के अनुसार स्वीकृत माना जायेगा। अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के संबंध में निदेशालय के पत्र दिनांक 14.11.2024 के बिन्दु संख्या 2 के उप बिन्दु 07 (प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में स्वीकृत पदों अथवा मानदंडानुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पदस्थापित कार्मिक/शिक्षक अधिशेष होंगे) की स्पष्ट व्याख्या निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक 26.11.2024 के प्रदत्त निर्देश एवं निदेशालय द्वारा जारी पीपीटी के बिंदु संख्या 01 के अनुसार “ विद्यालय में पदों के निर्धारण हेतु शासन के दिशा निर्देश पत्र दिनांक 30.04.2015 के अनुसार वर्तमान में विद्यालय में स्वीकृत पदों की समीक्षा अथवा पदों का पुर्ननिर्धारण नहीं किया जाना है। वर्तमान प्रक्रिया में स्वीकृत पदों के आधार पर ही अधिशेष की पहचान एवं समायोजन की कार्यवाही की जानी है। स्वीकृत पदों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन (कम/अधिक या विषय परिवर्तन) नहीं करना है।” निदेशालय से प्राप्त उक्त निर्देशों की पालना में शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय में स्वीकृत पदों के अनुसार ही अधिशेष कार्मिकों के समायोजन की कार्यवाही की गई है, जो विधि अनुकूल है। अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील केवल मात्र न्यायालय एवं प्रत्यर्थीगण को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

4. हमने उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।
5. प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेखों से प्रकट होता है कि उपरोक्त अपीलों में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 21.01.2025 को जवाब प्रस्तुत होने तक स्थगन आदेश जारी किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलों का जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है। जिससे यह स्थगन आदेश निष्प्रभावी हो गया है।
6. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
7. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।
8. अतः उक्त अपील, इसी प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
9. मूल आदेश अपील संख्या 175/2025 सोनल कुमारी बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर एवं अन्य में रखा जावे एवं इस आदेश की प्रति तालिका के क्रम संख्या 02 से क्रम संख्या 04 तक की अपीलों की पत्रावलियों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(असलम मेहर)  
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य